सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 07, बुधवार, *शाके* 1947- मई 28, 2025

Jyaistha 07, Wednesday, Saka 1947- May 28, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भरतपुर)

अधिसूचना

भरतपुर, मई 20, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

RAJKAJ 15390415 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार विड्यारी (राज्य राजमार्ग-01) से ब्रह्मबाद रोड (राज्य राजमार्ग-45) तक के माध्यम से बयाना में बाईपास सड़क का निर्माण (अनुमानित लंबाई 4.100 किलोमीटर) जिला भरतपुर (राजस्थान) में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला भरतपुर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों मे भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क.स.	जिला	तहसील	गॉव का नाम	आवाप्त क्षेत्रफल हैक्ट.)
1.	भरतपुर	बयाना	कस्बा बयाना	**6.349**
2.	भरतपुर	बयाना	मुर्रकी	**3.377**
3.	भरतपुर	बयाना	देवासराय	**2.516**

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ''स्ट्रेन्थ इन्जिनियरिगं सर्विसेज प्रा.लि. प्रताप नगर **जिला- जयपुर 302033 (राजस्थान)** एजेंसी का चयन किया गया है। उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी।ततपश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
कार्यालय अधिशासी अधिकारी
सार्वजनिक निर्माण विभाग बयाना
जिला भरतपुर राजस्थान
फोन नंबर
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
स्ट्रेन्थ इंजिनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. जयपुर
प्रतिनिधि सतेन्द्र जटोलिया मोबाइल नम्बर – 9460137902
हाउस नंबर- 53/15 से.–5 प्रताप नगर
जिला- जयपुर302033(राजस्थान)
ई-मेल:-satyendra_jatoliya@yahoo.com

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।